बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

विषयः- बेल्ट्रॉन के द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / कार्यालयों में संविदा पर नियोजित प्रोग्रामर / स्टेनोग्राफर / आई०टी० ब्वॉय / आई०टी० गर्ल्स की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

[Regarding Sanction of Ex-Gratia Grant of Rs. 4,00,000.00 (Four Lakhs) only to the nearest dependent of Programmer/Stenographer/I.T. Boy/I.T. Girls working through outsourcing by Beltron on contract basis in different Departments/Offices in case of their death during service period.]

राज्य सरकार "न्याय के साथ विकास" के लिए प्रतिबद्ध है। दिनांक 27.07.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा अपने रिपोर्ट कार्ड जारी करने के अवसर पर घोषणा की गई थी कि **"संविदा पर सभी नियोजित शिक्षक, टोल सेवक, शिक्षा स्वयंसेवी, आशा कार्यकर्त्ता, ममता, ऑगनबाड़ी सेविका / सहायिका, विद्यालय के रसोईया, अनुबंध पर कार्यरत कनीय / सहायक अभियंता एवं चिकित्सक, किसान सलाहकार / कृषि समन्वयक / डाटा इन्ट्री ऑपरेटर / कार्यपालक सहायक / आई०टी० मैनेजर की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर** उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र **अनुग्रह अनुदान की राशि दी जायेगी।**

2. उक्त के आलोक में सूचना प्रावैधिकी विभाग के संकल्प संख्या-1552 दिनांक 09.11.2015 के द्वारा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर / कार्यपालक सहायक / आई०टी० सहायक / आई०टी० मैनेजर को सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत है। किन्तु प्रोग्रामर / स्टेनोग्राफर / आई०टी० ब्वॉय / आई०टी० गर्ल्स इस सुविधा से वंचित है, जबकि इन तीनों प्रकार के संविदा कर्मियों की सेवा बेल्ट्रॉन के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / कार्यालयों में उपलब्ध करायी जा रही है।

3. विदित हो कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से बाह्य सेवा के आधार पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के अतिरिक्त प्रोग्रामर / आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) / आई०टी० ब्वॉय / आई०टी० गर्ल्स की भी सेवाएँ विभिन्न विभागों / कार्यालयों को समान शर्तो पर उपलब्ध करायी जाती है, जो इस लाभ से वंचित है। वर्णित स्थिति में इन कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान सूचना प्रावैधिकी विभाग के गैर योजना मद व्यय शीर्ष- मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-0027-सूचना प्रावैधिकी विभाग, विपत्र कोड-25-3451000900027, विषय शीर्ष-0027.37.01-अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत प्रावधानित राशि से की जायेगी।

5. अतः बेल्ट्रॉन के द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / कार्यालयों में संविदा पर नियोजित यथा-प्रोग्रामर / स्टेनोग्राफर / आई० टी० ब्वॉय / आई०टी० गर्ल्स की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. उक्त संकल्प को दिनांक 04.12.2018 को मद संख्या-06 के रूप में मंत्रिपरिषद् के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / प्रमंडलीय आयुक्त / जिलाधिकारी / अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–01–सू०प्रा०(स्था०)–16/2015/ 1520 पटना, दिनांक 10/12/2018

प्रतिलिपि : (सहायक/के सी० डी० सहित) उप सचिव (ई गजट), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–01–सू०प्रा०(स्था०)–16/2015/ 1520 पटना, दिनांक 10/12/2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–01–सू०प्रा०(स्था०)–16/2015/ 1520 पटना, दिनांक 10/12/2018

प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–01–सू०प्रा०(स्था०)–16/2015/ 1520 पटना, दिनांक 10/12/2018

प्रतिलिपि : प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–01–सू०प्रा०(स्था०)–16/2015/ 1520 पटना, दिनांक 10/12/2018

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

आपको निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–01–सू०प्रा०(स्था०)–16/2015/ 1520 पटना, दिनांक 10/12/2018

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/सभी मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

नोट :— बेल्ट्रॉन के द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में संविदा पर नियोजित प्रोग्रामर/स्टेनोग्राफर/आई०टी० ब्यॉय/आई०टी० गर्ल्स की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने से संबंधित संकल्प को इन्टरनेट पर वेबसाईट *http://gov.bih.nic.in* एवं *www.biharonline.gov.in* के माध्यम से *डाउन लोड किया जा सकता है।*

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

सं० सं० - 3/उ०प्र०/या० (विविध) 09/06 (खंड)

ज्ञापांक 119 / दिनांक 07-01-19

प्रतिलिपि :– उद्योग निदेशक/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/ निदेशक, तकनीकी विकास/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-4 (उ०) उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित,

(अनिल कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

सं० सं० : हस्त०/स्था० (विविध)— 6/14

ज्ञापांक : 205 /पटना, दिनांक : 17.01.19

प्रतिलिपि :– सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

17.01.19
उप निदेशक (हस्त०)
बिहार, पटना

राजन
07.12.18